आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

लाभांश वितरण नीति

विषय-सूची

1. संक्षिप्तियां और पूर्ण रूप.....3
2. पृष्ठभूमि 4
3. लाभांश की घोषणा के समय विचारित घटक.....4
3.1 बाह्य घटक 5
3.1.1 आर्थिक परिवेश 5
3.1.2 पूंजी बाजार 5
3.1.3 सांविधिक उपबंध और दिशानिर्देश 5
3.2 आंतरिक घटक 6
3.2.1 वर्ष के दौरान अर्जित लाभ 6
3.2.2 जोखिम-भारित परिसंपत्तियों की अनुपात पूंजी 6
3.2.3 कंपनी की निवल संपत्ति 6
4. परिस्थितियां जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं.....7
5. प्रतिधारित आय का उपयोग.....8
6. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाये जाने वाले मानदंड.....8
7. नीति में आशोधन/परिवर्तन.....9

1. संक्षिप्तियां और पूर्ण रूप

संक्षिप्तियां	पूर्ण रूप
सीआरएआर	जोखिम भारित परिसंपत्तियों की अनुपात पूंजी
डीआईपीएएम	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
डीपीई	सार्वजनिक उद्यम विभाग
आईएफसी	अवसंरचना वित्त कंपनी
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएटी	कर पश्चात लाभ
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईसी	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईबीआई (एलओडीआर) रेगुलेशन	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

2. पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 43क के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्षस्थ पांच सौ सूचीबद्ध एंटिटियां (प्रत्येक वित्त वर्ष की 31 मार्च के अनुसार परिकलित) एक लाभांश वितरण नीति को तैयार करेंगी, जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट और उनकी वेबसाइट में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्षस्थ पांच सौ एंटिटियों के अन्यत्र सूचीबद्ध एंटिटियां अपनी लाभांश वितरण नीतियों को स्वैच्छिक आधार पर अपनी वार्षिक रिपोर्टों तथा वेबसाइटों में प्रकट कर सकती हैं। मानदंडों के अनुसार इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरईसी उन 500 शीर्षस्थ एंटिटियों में शामिल है, 31 मार्च, 2016 को एनएसई की स्थिति के अनुसार इसका रैंक 105वें स्थान पर है, इसने लाभांश वितरण नीति को तैयार किया है।

नीति का आशय ऐसे वित्तीय मानदंड, जिन पर लाभांश की घोषणा करने के दौरान विचार किया जाएगा और ऐसी परिस्थितियां, जिनमें कंपनी के शेयरधारक लाभांश को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं, आदि सहित विस्तृत रूप से बाह्य और आंतरिक घटकों को उल्लिखित करना है। नीति को विस्तृत रूप से, कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तथा वित्त मंत्रालय/सेबी/डीपीई/ डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों और यथा लागू अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

3. लाभांश घोषणा के समय विचारित घटक

कंपनी के लाभांश भुगतान का निर्णय निम्नलिखित बाह्य और आंतरिक घटकों पर निर्भर करता है:-

3.1 बाह्य घटक

3.1.1 आर्थिक परिवेश

आर्थिक और कारोबार संबंधी मंदी या अनिश्चित परिस्थितियों में, कंपनी भावी झटकों को आत्मसात करने के लिए आरक्षित का निर्माण करने के संबंध में अत्यधिक लाभ रखने का प्रयास करेगी।

3.1.2 पूंजी बाजार

बाजार की अनुकूल स्थिति होने के समय, लाभांश का भुगतान उदार हो सकता है। हालांकि, बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के समय, जब क्रेडिट की उपलब्धता प्रतिबंधित होती है, कंपनी नकदी बहिर्वाह के संरक्षण हेतु एक रूढ़िवादी लाभांश भुगतान का सहारा ले सकती है।

3.1.3 सांविधिक उपबंध और दिशानिर्देश

कंपनी, लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों को ध्यान में रखेगी। इसके अतिरिक्त, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, लाभांश की घोषणा के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

3.2 आंतरिक घटक

लाभांश की घोषणा पर विचार करने से पूर्व कंपनी निम्नानुसार विभिन्न वित्तीय मानदंडों पर विचार करती है।

3.2.1 वर्ष के दौरान अर्जित लाभ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार, कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान करने के उपरांत प्राप्त हुए उक्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभों या पिछले वित्त वर्ष/वर्षों के लिए कंपनी के लाभों से दिए गए लाभांश को छोड़कर किसी वित्त वर्ष के लिए किसी कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित अथवा प्रदत्त नहीं किया जाएगा।

3.2.2 जोखिम-भारित परिसंपत्तियों की अनुपात पूंजी

एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% के एक सीआरएआर (10% की न्यूनतम टियर-। पूंजी सहित) को बनाये रखना अपेक्षित है। तदनुसार, सीआरएआर के लिए प्रत्याशित आंकड़ों पर भी लाभांश की घोषणा करने के दौरान विचार किया गया है ताकि यह निर्धारित आंकड़े का उल्लंघन न कर सके।

3.2.3 कंपनी की निवल संपत्ति

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई), वर्तमान विधिक

उपबंधों के तहत स्वीकार्य अधिकतम लाभांश के आधार पर कर उपरांत लाभ (पीएटी) के 30% या निवल संपत्ति के 5%, दोनों में से जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी को भी इन दिशानिर्देशों अथवा समय-समय पर जारी इसके अनुवर्ती संशोधनों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

उपरोक्त वित्तीय मानदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक घटकों पर भी विचार कर सकती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः

- विद्यमान कारोबारों की वर्तमान एवं भावी अपेक्षाएं;
- कंपनी की अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश;
- अन्य कोई घटक, जो उपयुक्त हो।

4. परिस्थितियां जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश के भुगतान करने संबंधी निर्णय करना एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है क्योंकि यह कंपनी के सभी शेयरधारकों में वितरित की जाने वाली लाभ की राशि तथा कारोबार में रखी जाने वाली लाभ की राशि को निर्धारित करता है। निर्णय में लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को उपयुक्त रूप से प्रतिफल देने तथा भावी विकास के सहायतार्थ स्वस्थ पूंजी की पर्याप्तता के अनुपात को बनाये रखने में लाभ को प्रतिधारित करने के दोनों उद्देश्यों का संतुलन बिठाना अपेक्षित है।

कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है और इसके भविष्य में भी उपयुक्त रूप से अनवरत लाभांश घोषित करने की संभावना है बशर्ते कि कंपनी को अपर्याप्त लाभ या आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी की अनुपलब्धता अथवा उपरोक्त सूचीबद्ध अन्य कोई बाह्य या आंतरिक घटकों के कारण लाभ घोषित करने से प्रतिबंधित न कर दिया गया हो।

इसके अलावा, यद्यपि कंपनी का यह प्रयास होगा कि खंड 3.2.3 के तहत यथा विनिर्दिष्ट निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश को घोषित किया जाए, तथापि, कंपनी विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकदी प्रवाह स्थिति और भावी विकास हेतु अपेक्षित निधि के विश्लेषण के उपरांत तथा प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात कम लाभांश का भी प्रस्ताव कर सकती है।

5. प्रतिधारित आय का उपयोग

कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण कार्य में लगी हुई है तथा प्रतिधारित आय को दीर्घकालिक अवसंरचना ऋण परिसंपत्तियों में नियोजित किया जाता है। कारोबार में धारित किए जा रहे लाभ को अवसंरचना ऋण में नियोजित किया जाना जारी रहेगा तथा इस प्रकार कंपनी के कारोबार और प्रचालनों में संवृद्धि हेतु योगदान किया जा रहा है। कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को अनवरत निधि प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाये जाने वाले मानदंड

अभिलेख की तिथि के अनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं। जैसा कि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकार के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक ही श्रेणी जारी की है, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। नीति पर, शेयरों की किसी नई श्रेणी को जारी करने के दौरान उसकी प्रकृति और दिशानिर्देशों के आधार पर पुनः गौर किया जाएगा।

7. नीति में आशोधन/परिवर्तन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नीति में किसी मामूली आशोधन/परिवर्तन को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत हैं और वे नीति के संबंध में कोई व्याख्या देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।